

राजस्थान विधान सभा

(सोलहवीं विधान सभा)

षष्ठम्-सत्र

अतारांकित प्रश्नों की सूची

मंगलवार, दिनांक 25 अगस्त, 2026

कुल संख्या-21

मुख्यमंत्री	04
उप मुख्यमंत्री (वित्त)	03
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री	05
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री	02
पशुपालन एवं डेयरी मंत्री	04
वन राज्य मंत्री	03

जिला बाड़मेर में डीएमएफटी के अंतर्गत स्वीकृत विकास कार्य

जारी नियम एवं दिशा-निर्देशों की
प्रति सदन की मेज पर रखें।

44. (383/खान एवं
पेट्रोलियम/ अता.) श्री रविन्द्र सिंह
भाटी (126) – क्या खान एवं
पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा
करेंगे:-

(1) डीएमएफटी के अंतर्गत
खनन प्रक्रिया से प्रत्यक्ष एवं
अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में
विकास कार्यों की स्वीकृतियों हेतु

(2) क्या यह सही है कि जिला
बाड़मेर में वर्ष 2025 से 31 जुलाई,
2026 तक डीएमएफटी निधि से
खनन प्रक्रिया से अप्रत्यक्ष रूप से
प्रभावित क्षेत्रों में भी विकास कार्यों
की स्वीकृतियां जारी की गई हैं?
यदि हां, तो क्यों? स्वीकृतियों का
क्षेत्रवार, कार्यवार एवं स्वीकृत राशि
का विवरण सदन की मेज पर
रखें।

(3) वर्तमान में उक्त जिले में
डीएमएफटी में कितनी राशि

उपलब्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जिला जोधपुर में खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट द्वारा स्वीकृत कार्य

45. (837/खान एवं पेट्रोलियम/ अता.) श्री अर्जुन लाल (12) – क्या खान एवं पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला जोधपुर में खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट द्वारा विगत तीन वर्षों में कितनी-कितनी राशि के कौन-कौनसे कार्य कहां-कहां करवाये गये? यदि नहीं, तो क्यों? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि उपज मंडी भवानी मंडी व चौमहला द्वारा विकास कार्य

46. (986/कृषि विपणन/ अता.) श्री कालूराम (31) – क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र डग में विगत तीन वर्षों में कृषि उपज मंडी भवानी

मंडी तथा चौमहला द्वारा किस मद से कितने कार्य करवाये गए? कार्यों का पंचायतवार व मंडीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

विधान सभा सदस्यों हेतु अंगरक्षक (पीएसओ) की नियुक्ति

47. (950/गृह/अता.) श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (200) – क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रत्येक विधायक को एक अंगरक्षक (पीएसओ) उपलब्ध करवाया जाता है? यदि हां, तो क्या एक अंगरक्षक सुरक्षा ड्यूटी के लिये पर्याप्त है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधायकों को उनके व्यस्त कार्यक्रमों के मद्देनजर दो अंगरक्षक (पीएसओ) उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

ग्राम रतनपुरा से जालौर सड़क पर पुल निर्माण

48. (505/सार्वजनिक निर्माण/ अता.) श्री छगनसिंह राजपुरोहित

(54) – क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:- सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर की ग्राम पंचायत सांकरणा के राजस्व ग्राम रतनपुरा को जालौर जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क की लंबाई, श्रेणी, निर्माण/नवीनीकरण व वर्तमान स्थिति तथा विगत पाँच वर्षों में इस पर किए गए कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जालौर-रतनपुरा सड़क पर जवाई नदी पर निर्मित पुलिया क्षतिग्रस्त एवं अपर्याप्त क्षमता की होने के कारण वर्षा ऋतु में मार्ग अवरुद्ध हो जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग के सुदृढीकरण एवं जवाई नदी पर नवीन उच्च स्तरीय पुल/पुलिया निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

डीग-कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में सेत से सिगिरसीनी सड़क का सुदृढीकरण

49. (1231/सार्वजनिक निर्माण/ अता.) डॉ. शैलेश सिंह (164) – क्या

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर में स्थित सेत से सिगिरसीनी सड़क के सुदृढीकरण एवं चौड़ाईकरण का कार्य स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि

50. (1172/महिला एवं बाल विकास/अता.) श्री सुखवंत सिंह (65) – क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को वर्तमान में किस-किस मद से कितना-कितना मानदेय दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मानदेय के अतिरिक्त उक्त कार्मिकों को क्या-क्या अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की सेवा के दौरान दुर्घटना या मृत्यु होने पर बीमा की सुविधा या मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उप स्वास्थ्य केन्द्र गिरधारीपुरा (डीडवाना) का भवन निर्माण

51. (613/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/ अता.) श्री यूनूस खान (121) – क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के ग्राम गिरधारीपुरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है? यदि हां, तो उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र कब स्वीकृत किया

गया? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि का आवंटन कब किया गया? आवंटन आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त भी जुलाई, 2026 तक उक्त केन्द्र के भवन निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार उप स्वास्थ्य केन्द्र गिरधारीपुरा के भवन निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति कब तक जारी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जिला टोंक में संचालित चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पद

52. (685/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/ अता.) श्री राम सहाय वर्मा

(रेगर) (132)– क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला टॉक के सभी श्रेणी के चिकित्सा संस्थानों में संवर्गवार कितने-कितने पद स्वीकृत व रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले के किन-किन मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कितने-कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

कठूमर विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पद

53. (740/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/अता.) श्री रमेश खींची (125) – क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र कठूमर में संचालित राजकीय चिकित्सालयों,

उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में श्रेणीवार कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पिण्डवाडा आबू विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पद

54. (1444/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/ अता.) श्री समाराम (175) – क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाडा आबू के चिकित्सालयों में वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

प्रदेश में नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञों के रिक्त पद

55. (698/चिकित्सा शिक्षा/अता.) श्री टीकाराम जूली (71) – क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में नेफ्रोलॉजिस्ट विशेषज्ञों के वर्तमान में स्वीकृत पद, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर नेफ्रोलॉजी व डायलिसिस सेवाओं को मजबूत करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अजमेर में नेफ्रोलॉजिस्ट के पदस्थापन/स्थानांतरण के संबंध में

क्या प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाई गई? क्या सभी स्थानांतरण नियमानुसार व सक्षम स्वीकृति से किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों को खाद्य सामग्री

56. (1204/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति/अता.) श्रीमती शिमला देवी (163) – क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पात्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) का लाभार्थी द्वारा किसी कारणवश एक माह का राशन निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं करने पर राशन "लैप्स" हो जाता है? यदि हां, तो संबंधित नियम/आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार एक माह में राशन सामग्री नहीं लेने वाले पात्र परिवारों को खाद्य सामग्री नहीं

देने वाले राशन डीलरों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी

57. (1428/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति/अता.) श्री भगवाना राम सैनी (104) – क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कितने राशनकार्डधारी परिवार हैं? उक्त में से कितनों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है तथा कितने किन कारणों से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उचित मूल्य की कितनी दुकानें संचालित हैं तथा इनके लिए कितने राशन डीलर नियुक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में कुछ

स्थानों पर राशन वितरण में अनियमितता, कम राशन अथवा समय पर राशन नहीं देने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सोजत विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

58. (205/पशुपालन/अता.) श्रीमती शोभा चौहान (165) – क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में किस-किस श्रेणी के पशु चिकित्सालय व उपकेन्द्र संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित पशु चिकित्सा संस्थाओं में किस-किस श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त में से किस-किस श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं? सरकार द्वारा रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

(3) क्या यह सही है कि सोजत एवं रायपुर क्षेत्र में कई पशु

चिकित्सा केंद्रों पर जीवनरक्षक दवाइयों, टीकों (Vaccines) एवं कृत्रिम गर्भाधान (A.I.) किट की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त केन्द्रों पर आवश्यक दवा व टीकें आदि कब तक उपलब्ध करवा दिये जायेंगे?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सोजत में नए पशु आरोग्य केंद्र/उप केंद्र खोलने अथवा वर्तमान उप केंद्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन- किनको? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में पशुधन निरीक्षक के रिक्त पद

59. (1384/पशुपालन/अता.)
श्री गोपीचन्द्र मीणा (46) – क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में पशुधन निरीक्षक एवं पशुधन सहायक के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नवीन स्वीकृत ग्राम पंचायतों में पशुधन निरीक्षक एवं पशुधन सहायक के पद स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में चौकड़िया नंदी गौशाला का संचालन

60. (518/गोपालन/अता.)
श्री फूल सिंह मीणा (98) – क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण स्थित चौकड़िया नंदीगौशाला का संचालन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? संस्था/फर्म का नाम, अनुबंध अवधि एवं अनुबंध की शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त नंदीगौशाला में गोवंश के लिए चारा, पानी, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध कराई जा रही हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि चौकड़िया नंदीगोशाला में नियमित रूप से साफ-सफाई की जाती है? उक्त की निगरानी किस अधिकारी द्वारा की जाती है तथा निरीक्षण कितनी बार किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि चौकड़िया नंदीगोशाला की चारदीवारी पूर्ण एवं सुरक्षित स्थिति में नहीं है? यदि हां, तो इसके निर्माण अथवा मरम्मत के लिए क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जिला बारां में देवस्थान मंदिरों का जीर्णोद्धार

61. (299/देवस्थान/अता.)
श्री प्रमोद जैन 'भाया' (26) – क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बारां जिले में विभाग के अधीन कौन-कौनसे मंदिर हैं? उक्त मंदिरों में से किन-किन मंदिरों में जीर्णोद्धार, रिनोवेशन की आवश्यकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 में किस-किस मंदिर के जीर्णोद्धार एवं अन्य निर्माण कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई एवं माह जुलाई, 2026 तक कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या किसी निजी ट्रस्ट, स्वयं सेवी संस्था के निजी स्रोतों एवं जन सहयोग से विभाग के जीर्ण-शीर्ण मंदिरों के नव निर्माण का विभागीय नियमों में प्रावधान है? यदि हां, तो नियम, शर्तों एवं प्रक्रिया की प्रति सदन की मेज पर रखें।

सहायक वन संरक्षक एवं रेन्जर ग्रेड-I के रिक्त पदों पर भर्ती

62. (206/वन/अता.)
श्री उदयलाल भडाणा (22) – क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सहायक वन संरक्षक (जूनियर स्केल) एवं रेन्जर ग्रेड-I (क्षेत्रीय वन

अधिकारी ग्रेड-I) के रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी किए जाने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वन विभाग को कतिपय आक्षेपों की पूर्ति किए जाने के संबंध में दिए गए निर्देशों के उपरांत भी विभाग द्वारा उनकी पूर्ति समय पर नहीं किए जाने के फलस्वरूप प्रकरण 01 वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 एवं राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015, दोनों सेवा नियमों में समानता रखने के दृष्टिगत राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को न्यूनतम प्राप्ताकों में छूट दिए जाने हेतु वांछित संशोधन के प्रस्ताव कार्मिक विभाग को दिनांक 08.06.2026 को सहमति हेतु प्रेषित किए गए हैं? यदि हां, तो नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी नहीं होने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा

वन विभाग को दिए गए निर्देशों के क्रम में उक्त पदों के लिए विशेष योग्यजन के कतिपय प्रवर्गों को आरक्षण एवं नियोजन से छूट दिए जाने के संबंध में दिनांक 13.04.2026 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयानुसार शिथिलन संबंधी जारी की जाने वाली अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन संबंधी कार्यवाही अब तक सम्पन्न नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 के नियम 25 में कार्मिक विभाग (क-2) की अधिसूचना एफ.1(7)डीओपी/A-II/80 दिनांक 20.07.1980 के क्रम में “a minimum of 50% marks in aggregate” को “a minimum of 45% marks in aggregate” से प्रतिस्थापित कर कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 को अद्यतन किया जा चुका है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 में संशोधन की प्रस्तावित अधिसूचना

एवं विशेष योग्यजन के कतिपय प्रवर्गों को आरक्षण एवं नियोजन से छूट दिए जाने हेतु शिथिलन संबंधी जारी की जाने वाली अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशन संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर सहायक वन संरक्षक (जूनियर स्केल) एवं रेन्जर ग्रेड-I (क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड-I) के रिक्त पदों की विज्ञप्ति कब तक जारी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

बानसूर विधान सभा क्षेत्र में वृक्षारोपण

63. (887/वन/अता.) श्री देवी सिंह शेखावत (81) – क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र बानसूर में विगत पांच वर्षों में कितने हैक्टेयर वन क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया? वर्षवार एवं ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

विधान सभा भवन,

जयपुर।

दिनांक : 13 अगस्त, 2026

आसपुर विधान सभा क्षेत्र में वन संरक्षण हेतु व्यय राशि

64. (1198/वन/अता.) श्री उमेश मीणा (23) – क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आसपुर के वन रेंजों, वन परिक्षेत्रों, वन चौकियों एवं वन बीटों में किस-किस श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त पदों में से कितने पद रिक्त हैं? सरकार रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वन संरक्षण एवं वन्यजीव सुरक्षा हेतु उपलब्ध शासकीय वाहन, गश्ती वाहन, मोटरसाइकिल, वायरलेस उपकरण, जीपीएस, ड्रोन, अग्निशमन उपकरण, वन चौकियाँ, कार्यालय भवन एवं आवासीय भवनों की वर्तमान स्थिति क्या है? विगत दो वर्षों में इनके लिए स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

भारत भूषण शर्मा

प्रमुख सचिव